NBWL और वन्यजीव संरक्षण

प्रिलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL), गिर राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, भू-स्थानिक प्रतिचित्रण, प्रोजेक्ट चीता, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, बन्नी घास स्थल, प्रोजेक्ट लायन, मालधारी समुदाय, वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

मेन्स के लिये:

वन्यजीव संरक्षण में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की हालिया पहलें और भूमिका

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस (3 मार्च) के अवसर पर गिर राष्ट्रीय उद्यान (जूनागढ़, गुजरात) में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की **7वीं बैठक** की अध्यक्षता की और वन्यजीव संरक्षण के लिये कई पहलों की घोषणा की।

विश्व वन्यजीव दिवस क्या है?

- **परिचय:** यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है (CITES द्वारा वर्ष 1973 में अंगीकृत) जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता ह्रास और प्रदूषण जैसे **तीन ग्रहीय संकट** के दौरान जैवविविधता की रक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालना है।
- **उद्गम:** इसकी स्थापना **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा दिसंबर वर्ष 2013** में की गई थी।
- **वर्ष 2025 थीम: वाइल्डलाइफ कंज़रवेशन फाइनेंस: इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट।**
  - यह संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करने के लिये **वन्यजीव संरक्षण में वित्तीय निवेश** के महत्त्व पर बल देता है।

NBWL की 7वीं बैठक की प्रमुख घोषणाएँ कौन सी हैं?

- **नई पहल:**
  - **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण: गंभीर रूप से संकटग्रस्त** इस प्रजाति की घटती जनसंख्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण योजना की घोषणा की गई।
  - **घड़ियाल संरक्षण: घड़ियालों की घटती जनसंख्या** के समाधान हेतु एक नवीन घड़ियाल संरक्षण पहल शुरू की गई।
  - **मानव-वन्यजीव संघर्ष केंद्र: मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन** हेतु उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई और यह भारतीय वन्यजीव संस्थान के **कोयंबटूर परिसर** में स्थित होगा।
    - यह **त्वरित प्रतिक्रिया टीमों** को उन्नत **ट्रैकिंग एवं निगरानी** से लैस करने के साथ संघर्ष क्षेत्रों में पहचान प्रणालियाँ तैनात करने तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों और समुदायों को न्यूनीकरण के संबंध में प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है।
    - प्रधानमंत्री ने वनाग्नि और मानव-पशु संघर्ष के समाधान हेतु **AI**, **ML**, रिमोट सेंसिंग तथा भू-स्थानिक मानचित्रण के उपयोग पर बल दिया है।
    - WII और **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N)** द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने में सहयोग किया जाएगा।
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र: प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र** की आधारशिला रखी, जो **वन्यजीव स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन** का केंद्र होगा।
  - **नवीन कार्यबल: भारतीय भालू, घड़ियाल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** के संरक्षण हेतु नवीन कार्य बलों का गठन किया गया।
- **प्रोजेक्ट चीता का विस्तार:** सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को **गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य** (मध्य प्रदेश) और बन्नी घास के मैदानों (गुजरात) तक विस्तारित करने की घोषणा की है।

- **प्रोजेक्ट लायन को मज़बूत करना:** सरकार ने **गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र** में एशियाई शेरों के क्षेत्र का विस्तार करने के क्रम में**प्रोजेक्ट लायन** को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
  - **16वाँ एशियाई शेर संख्या आकलन, मई 2025** में होगा। यह प्रत्येक **पाँच वर्ष** में आयोजित किया जाता है (आखिरी बार वर्ष 2020 में किया गया था)।
- **नदी डॉल्फिन आकलन:** भारत की **पहली नदी डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट** में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी घाटियों में **6,327 डॉल्फिन** की पुष्टि की गई।
- **वन्यजीव संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान:** प्रधानमंत्री ने NBWL और पर्यावरण मंत्रालय से अनुसंधान और विकास के लिये वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक ज्ञान और पांडुलिपियों को एकत्र करने का आग्रह किया।
- **सामुदायिक भागीदारी:** उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, वन अग्नि प्रबंधन और सतत् सह-अस्तित्व में सामुदायिक भागीदारी पर ज़ोर दिया।
  - उदाहरणार्थ, लायन कंज़र्वेशन में **मालधारी समुदाय की भूमिका।**

और पढ़ें: मालधारी कौन हैं?

दृष्टि The Vision

वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:** वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद 48 A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद 51 A (g):** वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्त्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
  - वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
  - एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
  - जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
  - IDHW, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण:**
  - ऑपरेशन सेव कुर्मा
  - ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- विश्व विरासत सम्मेलन
- रामसर कन्वेंशन
- वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

Drishti IAS

NBWL क्या है?

- **NBWL: NBWL [वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियिम, 1972](#)** (WPA, 1972) के तहत गठित वन्यजीव संरक्षण और विकास पर एक **सर्वोच्च वैधानिक निकाय है**।
- **संरचना:** NBWL एक **47 सदस्यीय समिति है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री** हैं, जो इसके **पदेन अध्यक्ष** होते हैं, जबकि **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री इसके **उपाध्यक्ष** हैं।
- इसके सदस्यों में शामिल हैं:
  - **वन्यजीव संरक्षण में शामिल अधिकारी**
  - **थल सेनाध्यक्ष**, **रक्षा सचिव** और **व्यय सचिव।**
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित **दस प्रख्यात संरक्षणवादी, पारिस्थितिकीविद् और पर्यावरणविद्।**
- **कार्य:** इसका **उद्देश्य वन्यजीव और वन के संरक्षण और विकास** को बढ़ावा देना है।
- **बाघ अभयारण्यों में कार्य:** [राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)](#) **के मार्गदर्शन से किसी भी बाघ अभयारण्य को बिना अनुमति के असंवहनीय उपयोग के लिये हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिये: (2012)

1. बांदीपुर
2. मानस
3. भितरकनिका
4. सुंदरबन

उपर्युक्त में से किसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. भारत में जैवविविधता किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पतिजात और प्राणीजात के संरक्षण में जैवविविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है? (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nbwl-and-wildlife-conservation